न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, {पीलीभीत}

मूल वाद संख्या 113/2016

श्रीमती रामेश्वरी देवी ––बनाम–– राकेश कुमार मिश्रा आदि।।

दिनांक 09.05.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष अपने अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित आये। वादीगण/प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18ग व प्रतिवादी की आपत्ति 20ग पर सुना गया। पत्रवली वास्ते आदेश दिनांक 22.05.2019 को पेश हो।

सिविल जज, (जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।

दिनांक 22.05.2019

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। विगत तिथि पर वादीगण/प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र 18ग व प्रतिवादी को आपत्ति 20ग पर सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 18ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रश्नगत दुकान वादीगण/प्रार्थिनी द्वारा संचालित की जा रही है। प्रतिवादी ने वादीगण/प्रार्थिनी की दुकान के छत के पानी का बहाव रोक दिया है। जिससे बारिश का पानी दुकान की छत पर भरा रहता है तथा जिससे दुकान गिर भी सकती है। कमीशन रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि वादीगण/प्रार्थिनी की दुकान का सामान छत पर भरे पानी से लगातार खराब हो रहा है, इसलिए वादीगण/प्रार्थिनी दौरान मुकदमा प्रतिवादी द्वारा छत की ढाल में किये गये अवरोध को हटवाना चाहती है। अतः प्रतिवादी द्वारा दुकान की छत में पानी के निकास में किये गये अवरोध को दौरान मुकदमा हटाये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र 18ग शपथ पत्र 19ग से समर्थित है।

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 20ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता द्वारा वादीगण/प्रार्थिनी के पानी का कोई निकास नही रोका गया है। वादीगण/प्रार्थिनी द्वारा आज तक प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता प्रश्नगत दुकान की मरम्मत तथा जल निकास के सम्बन्ध में कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया है। यदि वादीगण/प्रार्थिनी जल निकास के सम्बन्ध में प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता के किसी कृत्य से क्षुब्द्ध है तो वह एक्ट नम्बर–13, सन् 1972 के प्राविधानों के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा जल निकास हेतु अनुमति प्राप्त कर सकते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 18ग प्रश्नगत दुकान की छत से दौरान मुकदमा प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता द्वारा पानी के निकास में किये गये अवरोध को हटाने की याचना की गयी है। जब कि पत्रावली में स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 6ग अन्तर्गत धारा 39 नियम 1व2 सिविल प्रक्रिया संहिता लम्बित है, जिसका निस्तारण अभी नही हुआ है। वादीगण/प्रार्थिनी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र 6ग के लम्बन के दौरान ही प्रार्थना पत्र 18ग प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः इस न्यायालय की राय में वादीगण/प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। जहॉ तक दौरान मुकदमा प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को प्रश्नगत दुकान में अवरोध करनें का प्रश्न है तो वादीगण/प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र 6ग के निस्तारण के समय उक्त बिन्दुओं को उठा सकती है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 18ग खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग दिनांक 04.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज, (जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।